

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/15

जयपुर, दिनांक

11 4 NOV 2018

:: संशोधित आज्ञा ::

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक सेवानिवृति आदेश दिनांक 24.11.2017 में क्रम संख्या-4 के सम्मुख अंकित "श्री विनोद कुमार शर्मा" के स्थान पर "श्री विनोद कुमार" पढ़ा जावे।

आज्ञा से



(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली



संयुक्त शासन सचिव